बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

ग्रा0वि0 अधि0 सं0- 425944 पटना, दिनांक 28.05.2019

ग्रा0वि0-14(सा0)सि0-01/2018

श्री राकेश कुमार चौबे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज, जिला- सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक- 230-। दिनांक- 23.11.2018 द्वारा श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव को सेवानिवृति के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बकाया वेतन कुल मो0 रू0 17778/- का भुगतान लंबित रखने के आरोप में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री चौबे से उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (4) के तहत बचाव के लिखित अभिकथन की माँग की गई। श्री चौबे द्वारा उनके पत्रांक 906 दिनांक 22.05.2019 से स्पष्टीकरण / लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। उन्होंने अपने लिखित अभिकथन में उल्लेख किया है कि श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव के सभी सेवान्त लाभ का भुगतान उनके पदस्थापन के पूर्व ही किया जा चुका था। श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत हो चुके थे एवं श्री चौबे का पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज के पद पर दिनांक 14.05.2015 को हुआ।

उन्होने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि पदस्थापन के उपरांत श्री जगलाल साहु, सेवानिवृत पंचायत सचिव के शेष बकाया राशि के दावे के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। श्री साहु के बकाया महंगाई भत्ता (जनवरी 2012 से मार्च 2012 तक, राशि 5740/-) एवं हडताल अवधि का वेतन (दिनांक 14.01.2009 से 31.01.2009 तक, राशि 12300/-) का भुगतान लंबित होने के संबंध में संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई कर उक्त राशि का भुगतान क्रमशः विपत्र संख्या- 167/2015-16 एवं 139/2016-17 के अंतर्गत किया गया।

श्री चौबे के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं साक्ष्यों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि श्री जगलाल साहु के बकाया महंगाई भत्ते एवं हडताल अवधि के वेतन का भुगतान क्रमशः दिनांक 19.03.2016 एवं 15.05.2017 को कर दिया गया। इनके कार्य काल में श्री साहु का सेवान्त लाभ लंबित नहीं था। इनके द्वारा सेवा निवृत कर्मी के बकाये वेतन का भुगतान किया गया तथापि भुगतान में अनावश्यक विलंब हुआ। इस प्रकार इनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गयी।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री चौबे द्वारा बरती गयी लापरवाही एवं विलंब के प्रमाणित आरोपों के लिए इन्हें चेतावनी का दंड दिया जाता है।

2) श्री चौबे को अधिरोपित उक्त शास्ति को इनके चारित्री में दर्ज की जाय।

3) उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राधा किशोर झा)

संयुक्त सचिव

\\10.76.138.73\HP Scanjet N9120\SEC 14\Adhisuchana (2019)- 01.doc

Shridhar

ज्ञापांक:- 425944 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 28.05.2019

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 425944 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 28.05.2019

चपरासी बही/निबंधित/ ईमेल/हाथोंहाथ

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सिवान / जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान / उप विकास आयुक्त, सिवान / श्री राकेश कुमार चौबे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज, जिला- सिवान सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 425944 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 28.05.2019

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव